

प्रेषक:-

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

सेवा मे,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:-

सी0बी0एस0ई0 / _____ / 2023-24 दिनांक: 26/10/2023

विषय:-

श्री राम स्वरूप पब्लिक स्कूल, सकरस, बहेडी, बरेली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि "शासनादेश सं0: शिक्षा अनुभाग-7, 1916/15-7-2009-1(290)/2007 दिनांक: 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनांक: 11.10.2023 के कम में श्री राम स्वरूप पब्लिक स्कूल, सकरस, बहेडी, बरेली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 06- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी।
- 08- विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 09- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

पृ०सं०: सी०बी०एस०ई / ७०५५७० / 2023-24 तददिनॉक
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, बरेली।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
- ✓ 5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, श्री राम स्वरूप पब्लिक स्कूल, सकरस, बहेडी, बरेली।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भाषा, भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा मे,

✓ प्रबन्धक,

श्री राम स्वरूप पब्लिक स्कूल,
सकरस-बहेडी, बरेली।

पत्रांक: सी0बी0एस0ई0 / 7112-15 / 2023-24 दिनांक: 26/10/2023

विषय:- श्री राम स्वरूप पब्लिक स्कूल, सकरस, बहेडी, बरेली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किए जाने विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश सं0: शिक्षा अनुभाग-7 1916/15-7-2009-1(290)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में प्रबन्धक, श्री राम स्वरूप पब्लिक स्कूल, सकरस-बहेडी, बरेली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन के सापेक्ष आगामी प्रक्रिया के उपरान्त मण्डल स्तर पर गठित मण्डलीय समिति की आहूत बैठक दिनांक 11.10.2023 में समिति द्वारा अपलोड की गई स्थिति एवं संलग्न पत्राजात तथा राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति दिए जाने सम्बन्धी इंगित विवरण का अवलोकन/परीक्षण किए जाने के उपरान्त सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मण्डलीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संस्था प्रबन्धक द्वारा विद्यालय का जिला पंचायत/सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत आदि समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिए जाएं।

अतः प्रकरण विषयक मण्डलीय समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय का जिला पंचायत/सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत आदि समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

पृ0स0: सी0बी0एस0ई0 / ————— / 2023-24 उक्त तिथि को
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 2- जिलाधिकारी, बरेली।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।